

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-51/2019

| प्रार्थी  | बनाम | अप्रार्थीगण  |
|---|------|--|
| बैंक ऑफ बड़ौदा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मांडवी, बड़ौदा में स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय - फोर्ट रोड, नागौर में स्थित व कार्यरत है। |      | 1. मैसर्स के.आर. ग्रीन सोल्यूशन्स,<br>363, लोटकों का बास, चोयल चौक, गांव काठौती तहसील जायल जिला नागौर-341023<br>एवं<br>जयपुर रोड रावतसर-335524 जिला हनुमानगढ़<br>2. भंवरलाल चोयल पुत्र खेताराम चोयल<br>जयपुर रोड रावतसर-335524 जिला हनुमानगढ़<br>एवं<br>363, लोटकों का बास, चोयल चौक, गांव काठौती तहसील जायल जिला नागौर-341023<br>3. रामेश्वरलाल चोयल पुत्र खेताराम चोयल<br>363, लोटकों का बास, चोयल चौक, गांव काठौती तहसील जायल जिला नागौर-341023 |

आदेश

दिनांक:- 13-08-2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को 92,00,000/- (अक्षरे बरानवे लाख रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 07.08.2018 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्तियां-

1. ग्राम पंचायत कठौती, तहसील जायल द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित श्री भंवर लाल एवं रामेश्वर लाल पुत्र खेताराम जाट के नाम जो कि वार्ड नं. 8, इशरको का बास, गांव पोस्ट काठौती तहसील जायल, जिला नागौर-341023 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 826.83 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है- पूर्व में आम गुवार एवं जगह का निकाल, पश्चिम आम रास्ता एवं तहखाने का निकास, उत्तर में सार्वजनिक अकुरडा व दक्षिण में किशनाराम पुत्र गयारराम जाट
2. ग्राम पंचायत कठौती, तहसील जायल द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित श्री भंवर लाल एवं रामेश्वर लाल पुत्र खेताराम जाट के नाम जो गांव कठौती, तहसील जायल जिला नागौर-341023 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1802.66 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है- पूर्व में आम रास्ता एवं जगह, पश्चिम में आम रास्ता एवं जगह, उत्तर में आम रास्ता एवं जगह व दक्षिण में मोगरराम पुत्र हरजी राम एवं कानाराम पुत्र छोटूराम
3. भंवर लाल चोयल पुत्र खेताराम चोयल एवं रामेश्वर चोयल पुत्र खेताराम चोयल के नाम आवासीय सम्पत्ति, पट्टा नं. 77 जो गांव काठौती, तहसील जायल जिला नागौर पर स्थित है,



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

जिसका क्षेत्रफल 138.64 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है- पूर्व में गोरधन राम पुत्र हिमताराम जाट एवं अन्नाराम पुत्र किशना राम जाट एवं जगह, पश्चिम में भूराराम पुत्र गेनाराम जाट, उत्तर में आम रास्ता एवं जगह, दक्षिण में भंवरलाल पुत्र रामदेव जाट एवं भेराराम पुत्र चेतनाराम जाट

4. भंवरलाल चोयल पुत्र खेताराम चोयल एवं रामेश्वर चोयल पुत्र खेताराम चोयल के नाम सम्पत्ति, गांव बांठड़ी जो खसरा नं. 485/200, तहसील डीडवाना, जिला नागौर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 405 वर्ग मीटर है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है- पूर्व में रामनिवास पुत्र हरदान राम, पश्चिम में हरिबक्स, उत्तर रोड़, दक्षिण में गुमानाराम भांबी, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 31.03.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 78,96,915.39/- (अक्षरे अठहतर लाख छियानवे हजार नौ सौ पन्द्रह रुपये उनतालीस पैसे मात्र) दिनांक 30.04.2019 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 08.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 78,96,915.39/- (अक्षरे अठहतर लाख छियानवे हजार नौ सौ पन्द्रह रुपये उनतालीस पैसे मात्र) दिनांक 30.04.2019 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्तियों का विवरण :-

1. ग्राम पंचायत कठौती, तहसील जायल द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित श्री भंवर लाल एवं रामेश्वर लाल पुत्र खेताराम जाट के नाम जो कि वार्ड नं. 8, इशरको का बास, गांव पोस्ट काठौती तहसील जायल, जिला नागौर-341023 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 826.83 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है- पूर्व में आम गुवार एवं जगह का निकाल, पश्चिम आम रास्ता एवं तहखाने का निकास, उत्तर में सार्वजनिक अकुरडा व दक्षिण में किशनाराम पुत्र गयाराराम जाट
2. ग्राम पंचायत कठौती, तहसील जायल द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित श्री भंवर लाल एवं रामेश्वर लाल पुत्र खेताराम जाट के नाम जो गांव कठौती, तहसील जायल जिला नागौर-341023 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1802.66 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है- पूर्व में आम रास्ता एवं जगह, पश्चिम में आम रास्ता एवं जगह, उत्तर में आम रास्ता एवं जगह व दक्षिण में मोगरराम पुत्र हरजी राम एवं कानाराम पुत्र छोदूराम
3. भंवर लाल चोयल पुत्र खेताराम चोयल एवं रामेश्वर चोयल पुत्र खेताराम चोयल के नाम आवासीय सम्पत्ति, पट्टा नं. 77 जो गांव काठौती, तहसील जायल जिला नागौर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 138.64 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है- पूर्व में गोरधन राम पुत्र



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

हिमताराम जाट एवं अन्नाराम पुत्र किशना राम जाट एवं जगह, पश्चिम में भूराराम पुत्र गेनाराम जाट, उत्तर में आम रास्ता एवं जगह, दक्षिण में भंवरलाल पुत्र रामदेव जाट एवं भेराराम पुत्र चेतनाराम जाट

4. भंवरलाल चोयल पुत्र खेताराम चोयल एवं रामेश्वर चोयल पुत्र खेताराम चोयल के नाम सम्पत्ति, गांव बांठड़ी जो खसरा नं. 485/200, तहसील डीडवाना, जिला नागौर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 405 वर्ग मीटर है। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है- पूर्व में रामनिवास पुत्र हरदान राम, पश्चिम में हरिबक्स, उत्तर रोड़, दक्षिण में गुमानाराम भांबी, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 92,00,000/- (अक्षरे बरानवे लाख रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 07.08.2018 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्तियां-

1. ग्राम पंचायत कठौती, तहसील जायल द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित श्री भंवर लाल एवं रामेश्वर लाल पुत्र खेताराम जाट के नाम जो कि वार्ड नं. 8, इशरको का बास, गांव पोस्ट काठौती तहसील जायल, जिला नागौर-341023 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 826.83 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है- पूर्व में आम गुवार एवं जगह का निकाल, पश्चिम आम रास्ता एवं तहखाने का निकास, उत्तर में सार्वजनिक अकुरडा व दक्षिण में किशनाराम पुत्र गयाराराम जाट
2. ग्राम पंचायत कठौती, तहसील जायल द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित श्री भंवर लाल एवं रामेश्वर लाल पुत्र खेताराम जाट के नाम जो गांव कठौती, तहसील जायल जिला नागौर-341023 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1802.66 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है- पूर्व में आम



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

रास्ता एवं जगह, पश्चिम में आम रास्ता एवं जगह, उत्तर में आम रास्ता एवं जगह व दक्षिण में मोगरराम पुत्र हरजी राम एवं कानाराम पुत्र छोटूराम

3. भंवर लाल चोयल पुत्र खेताराम चोयल एवं रामेश्वर चोयल पुत्र खेताराम चोयल के नाम आवासीय सम्पत्ति, पट्टा नं. 77 जो गांव काठौती, तहसील जायल जिला नागौर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 138.64 वर्ग गज है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है- पूर्व में गोर्धन राम पुत्र हिमताराम जाट एवं अन्नाराम पुत्र किशना राम जाट एवं जगह, पश्चिम में भूराराम पुत्र गेनाराम जाट, उत्तर में आम रास्ता एवं जगह, दक्षिण में भंवरलाल पुत्र रामदेव जाट एवं भेरुराम पुत्र चेतनाराम जाट
4. भंवरलाल चोयल पुत्र खेताराम चोयल एवं रामेश्वर चोयल पुत्र खेताराम चोयल के नाम सम्पत्ति, गांव बांठड़ी जो खसरा नं. 485/200, तहसील डीडवाना, जिला नागौर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 405 वर्ग मीटर है। जिसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है- पूर्व में रामनिवास पुत्र हरदान राम, पश्चिम में हरिबक्स, उत्तर रोड़, दक्षिण में गुमानाराम भांबी, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।  
आदेश सुनाया गया।



(दिनेश कुमार यादव)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर